सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन
वर्ष : 2019–2020

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

Website : www.taxboard.rajasthan.gov.in

Email : rajtaxboard@yahoo.co.in, rajasthantaxboard@rajasthan.gov.in

0145- 2627803 (Phone & Fax)

विषय सूची

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना, गठन	3
2.	संगठनात्मक ढांचा, प्रशासनिक एवं न्यायिक पद	4
3.	वर्तमान गठन, बजट स्थिति, पुस्तकालय एवं वर्षवार प्रकरणों की स्थिति	5
4.	वर्ष 2019 को प्रकरणों की स्थिति	6
5.	पदस्थापित अधिकारीगणों के कार्यालय/निवास दूरभाष नम्बर एवं सूचना का अधिकार के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलेट अधिकारी	7
6.	सार संक्षेप	8

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2019 – 2020

प्रस्तावना :

1.0 राजस्थान विक्रय कर अधिकरण की स्थापना दिनांक 01.05.1985 को विक्रय कर से सम्बन्धित लम्बित प्रकरणों (द्वितीय अपील) का शीघ्र निपटारा करने व निर्णयों में एकरूपता रखने के उद्देश्य से की गई थी ताकि विक्रय कर अधिनियम व नियमों की सुसंगत व्याख्या की जा सके। अधिकरण के गठन से पूर्व विक्रय कर से संबंधित प्रकरणों में द्वितीय अपील के प्रावधान नहीं थे और उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग के प्रथम अपील आदेश के विरूद्ध केवल मात्र निगरानी ही राजस्व मण्डल में प्रस्तुत हो सकती थी। दिनांक 01.10.1995 से राजस्थान विक्रय कर अधिकरण का नाम परिवर्तित कर **'राजस्थान कर बोर्ड'** कर दिया गया।

2.0 राजस्थान वित्त विधेयक, 2005 के द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा–2 में संशोधन कर राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर के स्थान पर राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को 'चीफ कन्ट्रोलिंग रेवेन्यू ऑथोरिटी' घोषित किया गया है, जिसके अन्तर्गत राजस्थान कर बोर्ड को स्टाम्प सम्बन्धित प्रकरणों की निगरानी सुनने, माननीय उच्च न्यायालय को रेफेरेन्स भिजवाने, पेनल्टी और स्टाम्प ड्यूटी के रिफण्ड आदि की शक्तियां प्रदान की गयी है। उक्त वित्त अधिनियम, 2005 का संशोधन दिनांक 24.03.2005 से प्रभावी हुआ, जिसके अन्तर्गत राजस्व मण्डल, अजमेर में लम्बित स्टाम्प सम्बन्धित विवादित प्रकरण राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को स्थानान्तरित किये गये, जिनकी सुनवायी एवं निस्तारण कर बोर्ड द्वारा नियमित रूप से किया जा रहा हैं। राजस्थान वित्त अधिनियम, 2006 में कर बोर्ड को भूमि कर से संबंधित निगरानी सुनने की अधिकारिता दिनांक 25.09.2006 की अधिसूचना द्वारा प्रदान की गयी है।

2.1 राजस्थान आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2007 के द्वारा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 9 क में हुए संशोधन के पूर्व आबकारी मामलों में आयुक्त आबकारी के निर्णयों के विरूद्ध राजस्व मण्डल, अजमेर को अपील सुनने की अधिकारिता थी। उक्त संशोधन दिनांक 06.06.2007 से प्रभावी हुआ है एवं तदनुसार आबकारी आयुक्त के आदेशों के विरूद्ध अपील/रिवीजन की सुनवायी की अधिकारिता राजस्थान कर बोर्ड को प्राप्त हो गयी है। उक्त संशोधन के पश्चात् राजस्व मण्डल, अजमेर में लम्बित आबकारी से संबंधित अपीलें/निगरानियां राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को स्थानान्तरित की गयी हैं जिनकी सुनवायी कर, निस्तारण कर बोर्ड, अजमेर की खण्डपीठ द्वारा किया जा रहा है।

3.0 ***गठन :***

कर बोर्ड में एक अध्यक्ष एवं 6 सदस्यों के पद सृजित है तथा वर्तमान में श्री मुकेश कुमार शर्मा, आई.ए.एस. (अध्यक्ष–राजस्व मण्डल, अजमेर) के पास दिनांक 09.05.2019 से अध्यक्ष राजस्थान कर बोर्ड का अतिरिक्त कार्यभार है। कर बोर्ड में पदस्थापित सदस्यों को वेतन एवं भत्ते राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 9(7)(क) के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा के सुपर टाईम स्केल स्तर के अधिकारी के समान देय है। कर बोर्ड में सदस्य पद पर चयन राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम, 9 में निहित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है।

3.1 कर बोर्ड के न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य सम्पादन हेतु रजिस्ट्रार का पद सृजित है। रजिस्ट्रार पद पर दिनांक 28.01.1994 से राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा के चयनित/सुपर टाईम वेतन श्रृंखला के अधिकारी पदस्थापित होते है। रजिस्ट्रार का पद राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा के संयुक्त आयुक्त स्तर का है, जो दिनांक 01.01.2020 से रिक्त है।

राजस्थान कर बोर्ड के रेग्यूलेशन–17 (नियम अधिनियम) भी राजस्थान राज–पत्र (Rajasthan Gazette) में प्रकाशित किये जा चुके है, जिसकी प्रति विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित है।

कर बोर्ड का संगठनात्मक ढांचा :

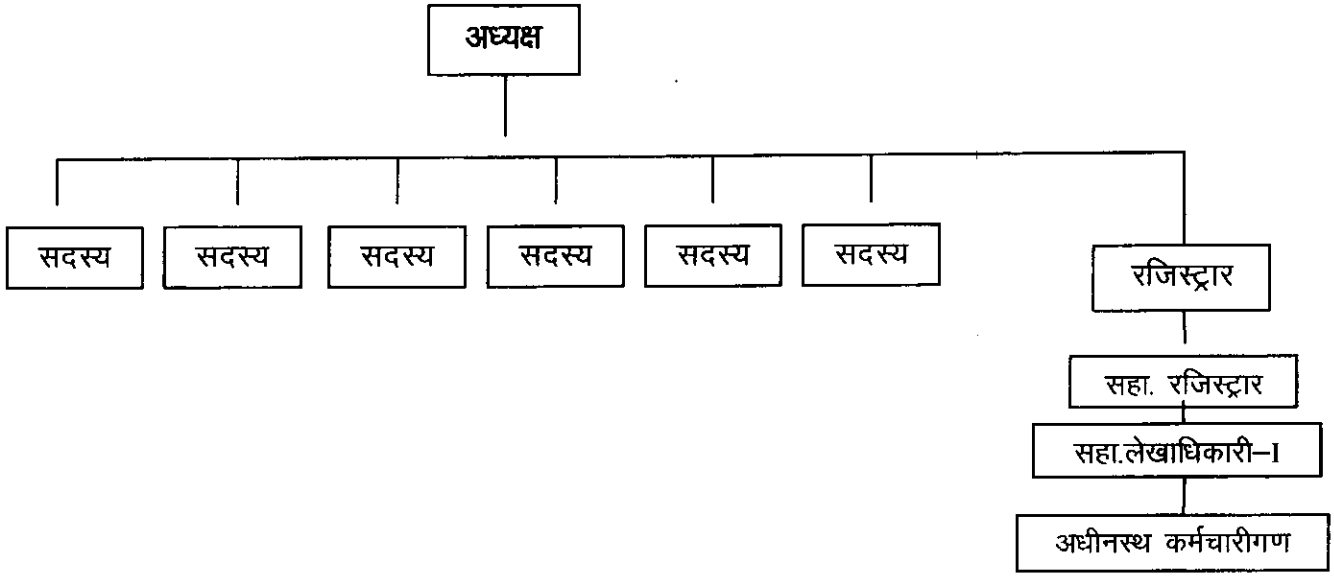

3.2 राजस्थान कर बोर्ड में प्रशासनिक एवं न्यायिक पद

क्र.सं.	पद	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1.	अध्यक्ष (आई.ए.एस.)	1	1	–
2.	सदस्य	6	3	3
3.	रजिस्ट्रार	1	–	1
4.	सहायक रजिस्ट्रार	1	1	–
5.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I	1	1	–
6.	निजी सचिव	2	1	1
7.	अतिरिक्त निजी सचिव	1	–	1
8.	निजी सहायक	1	–	1
9.	आशुलिपिक	4	–	4
10.	कनिष्ठ लेखाकार	1	1	–
11.	पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–II	1	–	1
12.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	2	2	–
13.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	4	3	1
14.	वरिष्ठ सहायक	7	4	3
15.	सहायक प्रोग्रामर	1	1	–
16.	कनिष्ठ सहायक	10	2	8
17.	सूचना सहायक	2	2	–
18.	वाहन चालक	4	3	1
19.	जमादार	1	1	–
20.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	14	11	3
21.	प्रोसेस सरवर	2	2	–
योग		**67**	**39**	**28**

4.0 कर बोर्ड का वर्तमान गठन निम्न प्रकार से है :–

क्र.सं	नाम	पद	अवधि
1.	श्री मुकेश कुमार शर्मा, आई.ए.एस. (अध्यक्ष राजस्व मण्डल, अजमेर) को अध्यक्ष पद का अतिरिक्त कार्यभार	अध्यक्ष	09.05.19 से अतिरिक्त कार्यभार
2.	श्री ओमकार सिंह आशिया	सदस्य	01.11.2017 से निरन्तर .....
3.	श्री वाहिद अली	सदस्य	08.03.2019 से निरन्तर .....
4.	श्री राजेश गुप्ता	सदस्य	29.05.2019 से निरन्तर .....
5.	श्री धर्मेन्द्र सिंह चौधरी	सहा.रजिस्ट्रार	06.12.2019 से निरन्तर .....

5.0 बजट स्थिति :

वर्ष 2019–2020 तक के बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्न प्रकार से है :–

(राशि रूपये लाखों में)

क्र.सं.	मद	बजट आवंटन (B.E.)	दिसम्बर, 2019 तक (रू.) व्यय
1	संवेतन	450.00	275.29
2	यात्रा भत्ता	7.00	6.98
3	चिकित्सा व्यय	1818.00	1772.79
4	कार्यालय व्यय	27.15	16.02
5	वाहन क्रय	.01	–
6	वाहन संधारण	2.40	1.39
7	भवन मरम्मत	2.00	–
8	पुस्तकालय	2.50	0.89
9	वाहन किराया	10.00	8.88
10	वर्दी	0.35	0.29
11	संविदा व्यय	3.00	2.37
12	कम्प्यूटराइजेशन व्यय	8.00	7.27

6.0 पुस्तकालय :–

कर बोर्ड में एक पुस्तकालय है, जिससे माननीय पीठ एवं अभिभाषकों के उपयोग हेतु विधि सम्बन्धी व अन्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जाती हैं। वर्तमान में पुस्तकालय में 8113 पुस्तकें उपलब्ध हैं।

7.0 वर्षवार प्रकरणों की स्थिति :–

वर्ष 2017, 2018 एवं 2019 तीन वर्षों में दायर एवं निस्तारित (विक्रय कर/स्टाम्प/भूमिकर एवं आबकारी) प्रकरणों की स्थिति निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	वाद	2017 (दिनांक 31.12.17)	2018 (दिनांक 31.12.18)	2019 (दिनांक 31.12.19)
1.	बकाया प्रकरण	9614	8024	7446
2.	दायर प्रकरण	2153	1697	1632
3.	निस्तारित प्रकरण	3743	2275	1543
4.	शेष प्रकरण	8024	**7446**	**7535**

कर बोर्ड में विचाराधीन प्रकरणों की सुनवायी एकलपीठ एवं खण्डपीठ द्वारा किये जाने का प्रावधान है। राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के अपील प्रकरणों एवं मुद्रांक अधिनियम के जिन प्रकरणों में विवादास्पद राशि दस लाख रुपए तक है, उनकी सुनवायी एकलपीठ एवं जिन प्रकरणों में विवादित राशि रूपये दस लाख से अधिक है, उन प्रकरणों की तथा आबकारी अधिनियम के समस्त वादों की सुनवायी खण्डपीठ द्वारा किये जाने का प्रावधान है। कतिपय परिस्थितियों में एस.बी./डी.बी. द्वारा कोई कानूनी बिन्दु निहित होने पर दो सदस्य से अधिक सदस्यों वाली पीठ (वृहद्पीठ) को निर्णय हेतु प्रकरण संदर्भित किया जाता है।

8.0 वर्ष 2019–20 के दौरान माह दिसम्बर, 2019 तक प्रकरणों के दायर/निस्तारण की माहवार प्रगति निम्नानुसार रही :–

1.1.2019 को शेष प्रकरण

डी.बी.	एस.बी.	कुल प्रकरण
3671	3775	7446

वर्ष 2019

माह	दायर वाद		निस्तारित वाद		शेष		योग
	डी बी	एस बी	डी बी	एस बी	डी बी	एस बी	
					*BF 3671	3775	7446
जनवरी	108	42	92	54	3687	3763	7450
फरवरी	79	30	73	96	3693	3697	7390
मार्च	107	66	59	78	3741	3685	7426
अप्रेल	98	55	33	64	3806	3676	7482
मई	95	52	42	49	3859	3679	7538
जून	121	40	77	69	3903	3650	7553
जुलाई	54	68	70	71	3887	3647	7534
अगस्त	81	61	59	40	3909	3668	7577
सितम्बर	94	41	92	58	3911	3651	7562
अक्टूबर	65	68	72	28	3904	3691	7595
नवम्बर	38	53	87	53	3855	3691	7546
दिसम्बर	92	24	74	53	3873	3662	7535

* पिछला अग्रेसित

9.0 अजमेर मुख्यालय पर लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु प्रत्येक कार्य दिवस में तीन एकलपीठ (एस.बी.) तथा माह के द्वितीय एवं चतुर्थ सप्ताह के सभी कार्य दिवस एवं माह के प्रथम, तृतीय व पंचम् सप्ताह के अंतिम दो दिवस में खण्डपीठ (डी.बी.) द्वारा प्रकरणों की सुनवायी की जा रही है।

सार संक्षेप :

राजस्थान विक्रय कर अधिकरण की स्थापना दिनांक 01.05.1985 को विक्रय कर से सम्बन्धित लम्बित प्रकरणों (द्वितीय अपील) का शीघ्र निपटारा करने व निर्णयों में एकरूपता रखने के उद्देश्य से की गई थी। दिनांक 01.10.1995 से राजस्थान विक्रय कर अधिकरण का नाम परिवर्तित कर **'राजस्थान कर बोर्ड'** कर दिया गया।

राजस्थान वित्त विधेयक, 2005 के द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा–2 में संशोधन कर राजस्थान कर बोर्ड को स्टाम्प सम्बन्धित प्रकरणों की निगरानी सुनने, माननीय उच्च न्यायालय को रेफेरेन्स भिजवाने, पेनल्टी और स्टाम्प ड्यूटी के रिफण्ड आदि की शक्तियां प्रदान की गयी है। साथ ही राजस्थान वित्त अधिनियम, 2006 में कर बोर्ड को भूमि कर से संबंधित निगरानी सुनने की अधिकारिता दिनांक 25.09.2006 की अधिसूचना द्वारा प्रदान की गयी है।

राजस्थान आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2007 के द्वारा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 9 क में हुए संशोधन के पूर्व आबकारी मामलों में आयुक्त आबकारी के निर्णयों के विरूद्ध राजस्व मण्डल, अजमेर को अपील सुनने की अधिकारिता थी। उक्त संशोधन दिनांक 06.06.2007 से प्रभावी हुआ है एवं तदनुसार आबकारी आयुक्त के आदेशों के विरूद्ध अपील/रिवीजन की सुनवायी की अधिकारिता राजस्थान कर बोर्ड को प्राप्त हो गयी है।

कर बोर्ड में एक अध्यक्ष एवं 6 सदस्यों के पद सृजित है कर बोर्ड के न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य सम्पादन हेतु रजिस्ट्रार का पद सृजित है। रजिस्ट्रार पद पर राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा के चयनित/सुपर टाईम वेतन श्रृंखला के अधिकारी पदस्थापित होते है। रजिस्ट्रार का पद राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा के संयुक्त आयुक्त स्तर का है।

कर बोर्ड में विचाराधीन प्रकरणों की सुनवायी एकलपीठ एवं खण्डपीठ द्वारा किये जाने का प्रावधान है। कतिपय परिस्थितियों में एस.बी./डी.बी. द्वारा कोई कानूनी बिन्दु निहित होने पर दो सदस्य से अधिक सदस्यों वाली पीठ (वृहद्पीठ) को निर्णय हेतु प्रकरण संदर्भित किया जाता है।

अजमेर मुख्यालय के अलावा राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ एवं खण्डपीठ कैम्प जयपुर में प्रत्येक माह के प्रथम, तृतीय एवं पंचम् सप्ताह में योजना भवन में आयोजित की जाती है। प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण एवं वादकारों की सुविधा हेतु राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा जोधपुर/उदयपुर में भी त्रैमासिक रूप से प्रकरणों की सुनवायी की जा रही है।

व्यवहारियों की सुविधा के लिये राजस्थान कर बोर्ड के समस्त निर्णयों को माह जनवरी, 2014 से निरन्तर कर बोर्ड की विभागीय वेबसाईट **www.taxboard.rajasthan.gov.in** पर प्रकाशित किया जा रहा है।

कर बोर्ड में लम्बित न्यायिक प्रकरणों की पारदर्शिता, अभिभाषक एवं व्यवहारीगणों की सुविधार्थ ऑनलाइन टैक्स बोर्ड सिस्टम माह नवम्बर, 2018 में लागू किया गया।

अजमेर मुख्यालय के अलावा राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ एवं खण्डपीठ कैम्प जयपुर में प्रत्येक माह के प्रथम, तृतीय एवं पंचम् सप्ताह में योजना भवन में आयोजित की जाती है, जिसमें प्रथम, तृतीय एवं पंचम् सप्ताह में प्रथम तीन दिवसों में खण्डपीठ द्वारा लम्बित प्रकरणों की सुनवायी की जा रही है। इसके अतिरिक्त प्रथम, तृतीय एवं पंचम् सप्ताह के प्रथम तीन दिवसों के अतिरिक्त अन्तिम दो कार्य दिवसों में एकलपीठ द्वारा कैम्प जयपुर में लम्बित निगरानी एवं अपील प्रकरणों की सुनवायी की जा रही हैं। कैम्प जयपुर में गठित खण्डपीठ व एकलपीठ में मुख्यतः जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, सवाईमाधोपुर, करौली, सीकर, झुन्झुंनूं, दौसा, एवं चूरू जिले के प्रकरणों की सुनवायी की जाती है। प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण एवं वादकारों की सुविधा हेतु राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा जोधपुर/उदयपुर में भी त्रैमासिक रूप से प्रकरणों की सुनवायी की जा रही है।

व्यवहारियों की सुविधा के लिये राजस्थान कर बोर्ड के समस्त निर्णयों को माह जनवरी, 2014 से निरन्तर कर बोर्ड की विभागीय वेबसाईट **www.taxboard.rajasthan.gov.in** पर प्रकाशित किया जा रहा है।

कर बोर्ड में लम्बित न्यायिक प्रकरणों की पारदर्शिता, अभिभाषक एवं व्यवहारीगणों की सुविधार्थ ऑनलाइन टैक्स बोर्ड सिस्टम माह नवम्बर, 2018 में लागू किया गया।

10. **राजस्थान कर बोर्ड में पदस्थापित अधिकारियों के कार्यालय/निवास के फोन नम्बर निम्नानुसार है :–**

क्रमांक	*नाम*	*पद*	*मोबाईल*	*कार्यालय*		*निवास*
1	श्री मुकेश कुमार शर्मा	अध्यक्ष	9413343334	0145–2627903	कार्यालय योजना भवन, जयपुर 0141–2229142	–
2	श्री ओमकार सिंह आशिया	सदस्य	9799919700	0145–2429740		–
3	श्री वाहिद अली	सदस्य	9461016460	0145–2627675		–
4	श्री राजेश गुप्ता	सदस्य	9414272703	0145–2627703		–
5	श्री धर्मेन्द्र सिंह चौधरी	सहायक रजिस्ट्रार	8003825445	0145–2627803		–

11. **सूचना के अधिकार के अंतर्गत :–**

: लोक सूचना अधिकारी :
श्री धर्मेन्द्र सिंह चौधरी, सहा.रजिस्ट्रार
Website : www.taxboard.rajasthan.gov.in
0145- 2627803 (Phone & Fax) (Mo.) 8003825445

: विभागीय अपीलेट ऑथोरिटी :
श्री मुकेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष
Website : www.taxboard.rajasthan.gov.in
0145- 2627903 (Phone)

12. : मुख्य सतर्कता अधिकारी :
श्री धर्मेन्द्र सिंह चौधरी, सहा.रजिस्ट्रार
Website : www.taxboard.rajasthan.gov.in
0145- 2627803 (Phone & Fax) (Mo.) 8003825445